छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 2009

(श्रावण-7, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 13 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 9 तारांकित प्रश्न एवं 26 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ 2-10/2008/1-सुअप्र, दिनांक 15 जून, 2009 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम, 2009,

(2) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर का पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन 2007-08 (1 जुलाई, 2007 से 30 जून, 2008),

पटल पर रखा।

3. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में धान खरीदी में अनियमितता संबंधी 28 सदस्यों की प्राप्त स्थगन सूचनाओं में से तथ्यात्मक होने के कारण श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य की सूचना पढ़ी गई।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्ता पर चर्चा प्रारंभ की।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
सर्वश्री नारायण चंदेल, मोहम्मद अकबर, दीपक कुमार पटेल, नंदकुमार पटेल,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

सर्वश्री संतोष बाफना, अजीत प्रमोद कुमार जोगी, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ.शक्राजीत नायक, श्री फूलचंद सिंह, श्री धर्मजीत सिंह।

4. बहिर्गमन

स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

5. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का उत्तर सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

6. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- समस्त माननीय सदस्यों के लिए प्रजापिता ब्रम्हकुमारी राजयोग केन्द्र माउंटआबू में दो दिवसीय राजयोग शिविर दिनांक 02 एवं 03 अगस्त, 2009 को आयोजित है। मैंने, माननीय मुख्यमंत्री, एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित अनेक सदस्यों ने उक्त शिविर हेतु सहमति दे दी है। जो माननीय सदस्य इस शिविर में जाना चाहते हों वे आज सायं 5.00 बजे तक कृपया अपनी सहमति देकर आरक्षण करा लेवें।

(3.03 से 3.32 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य ने नगरपालिका बेमेतरा में अनियमितता व्याप्त होने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री रामदयाल उइके, सदस्य ने सेन्ट्रल जेल, बिलासपुर में विकलांग शिक्षक की मौत होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईः-

(1) श्री महंत रामसुंदर दास
(2) श्री सौरभ सिंह
(3) श्री नंदकुमार पटेल
(4) श्री परेश बागबाहरा
(5) डॉ.हरिदास भारद्वाज
(6) श्री विरेन्द्र कुमार साहू
(7) श्री मोहम्मद अकबर
(8) श्री भोलाराम साहू
(9) श्री दूजराम बौद्ध
(10) श्री रामदयाल उइके
(11) श्रीमती अंबिका मरकाम

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं ।

10. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र सरलतापूर्वक न बन पाने से उत्पन्न स्थिति

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

श्री दयाल दास बघेल, डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री नंदकुमार पटेल, दीपक कुमार पटेल, अग्नि चंद्राकर, फूलचंद सिंह, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री विरेन्द्र कुमार साहू, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री देवजी पटेल,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक 5 (1) पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री दूजराम बौद्ध, श्री ह्रदय राम राठिया।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 5.54बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 30 जुलाई, 2009 (श्रावण 8, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा